राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 742, 743 व 744/2012/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अधिशाषी अभियन्ता,
भारत संचार निगम लि0, श्रीगंगानगर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी – सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .... अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक,
अधिकृत अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांकः– 02/02/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा ये अपीलें उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 03.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें शास्ति राशियों का विवादित किया गया है।

2. इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरणो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सीमेंट व स्टील का विक्रय करता है जिसमें व्यवहारी द्वारा अवार्ड किये गये संविदा कार्यो से संबंधित ठेकेदारों को पूर्व निर्धारित कीमतों पर सीमेंट व स्टील का विक्रय किया जाता हैं सीमेंट एवं स्टील की पूर्व निर्धारित कीमत को ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान में से काट लिया जाता है और सीमेंट व स्टील के संबंध में संबंधित ठेकेदार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी किया जाता है कि आपूर्ति किया गया सीमेंट एवं स्टील करदत्त है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदार व्यवहारी अपने कर निर्धारण के वक्त उक्त सीमेंट एवं स्टील पर माल के करदत्त होने की छूट प्राप्त कर लेता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सप्लाई किये गये माल के करचुके होने का कोई प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया और नोटिस दिये जाने के बावजूद भी सप्लाई किये गये माल के संबंध में सूचनाऐं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधियों वर्ष 1997–98, 98–99 एवं 99–2000 का वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 30 के अन्तर्गत पृथक–पृथक मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2000 को पारित किये जिसमें

लगातार..........2

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। उक्त आदेशों के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त(अपील्स) वा.क.विभाग, बीकानेर ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 22.07.2003 द्वारा, कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त कर, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30,58,64 नियम 34 के अन्तर्गत आलौच्य अवधियों के पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2004 को पारित करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध, कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध, उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.11.2011 के द्वारा कर व ब्याज में हस्तक्षेप नहीं करते हुए शास्ति को अपास्त करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा शास्ति को चुनौति देते हुए, ये अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार सारणी में दर्शाया गया है:–

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय अधिकारी के अपील सं0 व आदेश	शास्ति
742/2012	1997–98	219/03.11.2011	10,16,252/–
743/2012	1998–99	220/03.11.2011	23,33,032/–
744/2012	1999–2000	221/03.11.2011	19,20,544/–

4. अपीलार्थी–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रियायती दर से की गयी सीमेंट की खरीद का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करने के कारण उसके द्वारा घोषणा पत्र का दुरूपयोग किया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 64 के अन्तर्गत शास्तियों का जो आरोपण किया हैं वह विधिसम्मत है। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, शास्ति की राशि को बहाल किया जावे।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2000 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये जिसमें राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी, बीकानेर ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 22.7.2003 के द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर, कर ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिषित किये। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को ऐसी कोई फाइडिंग नहीं दी गयी। कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा नये सिरे से धारा 64 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर शास्तियॉ आरोपित कर दी गई। अतः शास्ति का आरोपण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 10 टैक्स अपडेट पेज 87 व 1 आरटीआर पेज 459 आदि निर्णयों का हवाला देते हुए निवेदन किया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

6. हमने उभयपक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य वर्षो के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2000 पारित किये गये है जिसमें सीमेंट की बिक्री पर 16 प्रतिशत से एवं स्टील की बिक्री पर 4 प्रतिशत से प्रत्यर्थी व्यवहारी कं0 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 30,58,65 के अन्तर्गत क्रमशः कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जो निम्नानुसार हैः–

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
742/2012	1997–98	7,97,951/–	2,31,406/–	15,95,902/–
743/2012	1998–99	17,23,367/–	8,09,983/–	34,46,738/–
744/2012	1999–2000	13,55,611/–	7,11,791/–	27,11,222/–

प्रत्यर्थी व्यवहारी कं0 द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलें उपायुक्त(अपील्स)वा.क., बीकानेर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त अपील्स, बीकानेर ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 22.07.2003 के द्वारा शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये। उपायुक्त(अपील्स) वा.क.बीकानेर ने अपने निर्णय के पैरा 5–6 में यह लिखा है कि :–

"अपीलार्थी भारत सरकार का विभाग है। वर्ष 97–98, 98–99 एवं 99–2000 की विभागीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जांच के समय लेखा अधिकारी श्री सुखराम ने सीमेंट व स्टील के सम्बन्ध में सूचना जोधपुर से मंगवाकर पेश करने का आश्वासन दिया है एवं समय–समय पर सूचना भी उपलब्ध करवाई है। इन प्रकरणों में किसी प्रकार की कर चोरी स्थापित नहीं होती है। सूचना उपलब्ध नहीं करवाने में कर निर्धारण अधिकारी का कर चोरी का मनोभाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। यहां तक कि जांच के समय वा.क.अ. के समक्ष डी.जी.एस.एण्ड डी. का बिल पेश किया जिसमें आरएसटी 3.75 प्रतिशत वसूल करना स्पष्ट होता है। बिल के पृष्ठ भाग में डी.जी.एस. एण्ड डी. राजस्थान राज्य में पंजीकृत है जिसका आरएसटी एवं सीएसटी नं. भी अंकित है। ऐसी स्थिति में क. नि.अधिकारी द्वारा धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर का निर्णय वा.क.अ. ए.ई. बीकानेर बनाम कार्यपालक इंजी.के.लो.नि.वि. बीकानेर अपील संख्या 619 एवं 620/97/बीकानेर निर्णय दिनांक 23.4.2001 पूर्ण रूप से लागू होता है। अतः

लगातार.........4

तीनों वर्षो में क.नि. अधिकारी द्वारा धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियॉ विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त की जाती है। फलतः तीनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मामले क.नि.अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किए जाते हैं।''

इस प्रकार रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपायुक्त(अपील्स)वा.क. बीकानेर ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 22.07.2003 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी कं0 के विरूद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया एवं कर ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये।

उपायुक्त(अपील्स)वा.क.बीकानेर के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आलौच्य वर्षो के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2004 पारित करते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 30 के अन्तर्गत कर व धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज तथा धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया है। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी कं. ने उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय वा.क.जयपुर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वा.क.जयपुर ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.11.2011 के द्वारा अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की। जिसके पैरा संख्या 6 में यह लिखा है किः–

''रेकार्ड के परिशीलन पर पाया गया कि उपायुक्त (अपील्स) के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 22.07.2003 में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम,1994 की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर, शास्ति के संबंध में निर्णय दिया जा चुका है। पत्रावली से ऐसा कही प्रतीत नहीं होता है कि उक्त निर्णय में किसी शीर्ष न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अन्यथा आदेश पारित किया गया हो। ऐसी सथिति में धारा 65 के तहत उपायुक्त(अपील्स) बीकानेर द्वारा दिनांक 22.07.2003 में दिया गया निर्णय अंतिम है तथा रिमांड आदेश के तहत उसी संव्यवहार पर अन्य किसी धारा के तहत पुनः शास्ति का आरोपण किया जाना विधिक नहीं है तथा न्याय की मूल भावना के विपरीत है अतएव पारित आदेश में धारा 64 के तहत आरोपित शास्ति को विधिक नहीं होने से अपास्त किया जाता है तथा इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।''

अतः रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि उपायुक्त–अपील्स, बीकानेर ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 22.07.2003 के द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए निर्णय दिया है। रेकार्ड से ऐसा कही प्रतीत नहीं होता है कि उक्त निर्णय में किसी शीर्ष न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अन्यथा आदेश पारित किया गया हो। कर निर्धारण अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 27.09.2000 में प्रत्यर्थी व्यवहारी कं0 के विरूद्ध धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को उपायुक्त–अपील्स, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2003 में दिया गया निर्णय अन्तिम है। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के तहत उसी संव्यवहार पर अन्य किसी धारा के तहत पुनः शास्तियों का आरोपण किया जाना विधिक नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित निर्देशों के बाहर जाकर पुनः कर निर्धारण आदेश में शास्ति आरोपित की है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियॉ

अविधिक होने से अपास्त की जाती है। यह पीठ उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के पृथक–पृथक आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझती है।

7. फलस्वरूप अपीलार्थी–राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.11.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

2.2.2016 — 02/02/2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(मनोहर पुरी)
सदस्य